



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर-452001

क्रमांक:कु.स.कार्या./वि.स.सत्र/2022/123

दिनांक:- 02 SEP 2022

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख/वि.वि. अध्ययनशालाएं/संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
2. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/डी.सी.डी. सी./अधिष्ठाता-छात्र कल्याण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
3. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय, इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन /बड़वानी/अलीराजपुर/बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विषय :- विधानसभा सत्र दिनांक 13 सितम्बर 2022 से दिनांक 17 सितम्बर 2022 के दौरान बिना अनुमति से मुख्यालय न छोड़ने के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक एफ 13-178/2019/38-2, भोपाल दिनांक 01/09/2022।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र में प्राप्त निर्देशानुसार लेख्य है कि आगामी विधानसभा सत्र दिनांक 13 सितम्बर 2022 से दिनांक 17 सितम्बर 2022 तक आहुत की गई है।

अतः उक्त संबंध में समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक एवं विभाग प्रमुख/वि.वि. अध्ययनशालाएं/संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न संदर्भित पत्र में दिये गये विधानसभा सत्र की निर्धारित अवधि तक समस्त जानकारियों के साथ अपने कार्य स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें एवं उक्त अवधि में बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय न छोड़ें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक:- 02 SEP 2022

पृ.क्रमांक:कु.स.कार्या./वि.स.सत्र/2022/124

प्रतिलिपि :-

1. श्री वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव, म.प्र.शासन, उ.शि.वि. मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कुलपति के सचिव की ओर सूचनार्थ।
3. उप-कुलसचिव प्रशासन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव